न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/409

1. फूली देवी पत्नि फूलचन्द
2. भीम सिंह पुत्र मूलचंद (मृतक)
   2/1 सुनील कुमार पुत्र भीमसिह
3. तेजपाल पुत्र मूलचन्द (मृतक)
   3/1 सोनू पुत्र तेजपाल
   3/2 ममता पत्नि तेजपाल ग्राम लेकडी तहसील बानसूर
4. बिमला पुत्री मूलचंद
5. अनिता पुत्री मूलचन्द जातियान मीणा निवासीयान ग्राम लेकडी तहसील बानसूर हाल जिला कोटपूली–बहरोड।
6. श्रीचन्द पुत्र सूसाराम
7. कैलाश चंद पुत्र सूसाराम
8. रामनिवास पुत्र सूसाराम (मृतक)
   8/1 दीपक पुत्र रामनिवास
   8/2 रिंकु पुत्र रामनिवास जातियान मीणा निवासी ग्राम लेकडी तहसील बानसूर हाल जिला कोटपूतली बहरोड
9. श्रीराम पुत्र नारायण
10. रेशमी पुत्री नारायण
11. सावत्री पुत्री नारायण
12. अनोख पुत्री नारायण
13. किरण पुत्री नारायण जातियान मेघवाल निवासीयान ग्राम लेकडी तहसील बानसूर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर
2. ग्यारसीलाल पुत्र नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम लेकडी
3. सोनी पत्नि घीसाराम (मृतक)
4. लीलाराम पुत्र घीसाराम
5. रोहिताश्व पुत्र घीसाराम
6. मदन पुत्र मक्खन
7. श्योपाल पुत्र मक्खन
8. प्रहलाद पुत्र मक्खन
9. पप्पूराम पुत्र मक्खन
10. लालचन्द पुत्र मक्खन
11. बजरंग पुत्र मक्खन जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम अणतपुरा तहसील बानसूर
12. कन्हैयालाल पुत्र पांचूराम (मृतक)
13. विशम्बर दयाल पुत्र पांचूराम (मृतक)
    13/1 रामकरण पुत्र स्व० विशम्बर दयाल
    13/2 सतीश कुमार पुत्र स्व० विशम्बर दयाल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

14. मातादीन पुत्र पांचूराम
15. रूपचंद पुत्र पांचूराम जाति चमार निवासीयान ग्राम लेकडी तहसील बानसूर
16. सजवीर पुत्र गणपत।
17. शेरसिह पुत्र गणपत जातियान चमार निवासी ग्राम लेकडी तहसील बानसूर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बानसूर जिला अलवर दिनांक 21.12.2016 प्रार्थना पत्र संख्या 13/2016 उनवानी बनाम तहसीलदार बनाम ग्यारसीलाल वगै.।

उपस्थित–

1. श्री अजीत यादव, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. ब्रहम प्रकाश यादव, वकील रेस्पो0 संख्या 2, 4, 5, 6, 9 से 11, 14 से 17 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–18.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.12.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 भूमिधारी तहसीलदार बानसूर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष ग्राम लेकडी के खसरा नम्बर 97 रकबा 5.76 है0 में से 0.04 है0, 94 रकबा 1.19 है0 में से 0.02 है0, 101 रकबा 1.11 है0 में से 0.01 है0, 99 रकबा 1.14 है0में से 0.01 है0, 125 रकबा 1.52 है0 में से 0.04 है0, 123 रकबा 1.14 है0में से 0.04 है0, 132 रकबा 2.93 है0 में से 0.07 है0 एवं ग्राम टोडियाकाबास के खसरा नं. 609 रकबा 1.32 है0में से 0.04 है0 भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 21.12.2016 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 21.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर के निर्णय दिनांक 21.12.2016 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थीगण की उक्त आराजीयात् से लगती हुई अन्य काश्तकारों की कृषि भूमि स्थित है तथा उक्त अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि व अन्य काश्तकारों की लगती हुई कृषि भूमि में से आज दिनांक तक किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थीगण की आराजी खसरा नं. 125 रकबा 1.52 है0, 132 रकबा 2.93 है0 वाके ग्राम लेकडी से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, बानसूर ने अपीलान्ट्स खातेदारान् को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, बानसूर द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में सेनया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर दिनांक 21.12.2016 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार बानसूरने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट के

कथनानुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा तहसीलदार बानसूर द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध एवं राजस्व अभिलेख में स्थाई रूप से अंकन की अभिशंसा की गई है। उक्त रास्ता कई खसरा नम्बरान् से गुजर रहा है। तहसीलदार बानसूर द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त रास्ते को खातेदारी से पृथक नहीं करते हुये भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 21.12.2016 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड का निर्णय दिनांक 21.12.2016 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर